22.2.21 पत्रावली प्रस्तुत। वकील पक्षकारान उपस्थित। वकील पक्षकारान की बहस सुनी गई।

न्यायालय की [illegible] हस्तगत अपील आंशिक रूप से स्वीकार [illegible] जाने [illegible]ीन है।

अतः हस्तगत अपील को एतद्द्वारा आंशिक रूप से स्वीकार किया। जाकर अपीलाधीन इंतकाल आदेश दिनांक

Signature Not Verified
Digitally signed by Pawan Kumar
Date: 2021.04.11 16:25:11 IST
Reason: SelfAttested

15.03.2009 निरस्त किया जाता है एवं प्रकरण न्यायालय तहसीलदार (राजस्व) अनूपगढ़ को इस निर्देश के साथ रिमाण्ड किया जाता है कि दोनों पक्षकारों को अपनी-अपनी साक्ष्य पेश करने व सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किया जाकर पुनः निर्णय पारित किया जावे। अपीलान्ट द्वारा जो दस्तावेजात अपील के साथ पेश किये हैं इन्हें अपीलान्ट अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पेश करने के लिए स्वतन्त्र है। आदेश की प्रति न्यायालय तहसीलदार राजस्व अनूपगढ़ को प्रेषित की जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। विस्तृत निर्णय पृथक से शामिल मिसल किया गया। निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Pawan Kumar
Date: 2021.04.11 16:25:11 IST
Reason: SelfAttested

(हस्ताक्षर) 22/2/21

(पवन कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
अनूपगढ़